झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1194 वर्ष 2017

बिश्राम बेग, पे0 स्वर्गीय सलान बेग, सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक, गॉसनर हाई स्कूल, राँची, डाकघर एवं थाना–राँची, जिला–राँची .... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य।
2. प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, ऐट–प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–राँची, झारखण्ड।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, रांची, डाकघर–जी0पी0ओ0, थाना–कोतवाली, जिला–रांची।
4. सचिव/प्रधानाध्यापक, गॉसनर हाई स्कूल, रांची, डाकघर एवं थाना–रांची, जिला–रांची।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री दीपक कु0 प्रसाद, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री कौस्तव रॉय, वरिष्ठ एस0सी0–III के जे0सी0

02/06.03.2017 तत्काल रिट आवेदन में, याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ–साथ उत्तरदाताओं को देय राशि पर अर्जित अवकाश के नकदीकरण की राशि के

भुगतान के लिए रिट/आदेश देने की प्रार्थना की है क्योंकि याचिकाकर्ता को इसका भुगतान नहीं किया गया है।

2. जैसा कि रिट याचिका में बताया गया है कि याचिकाकर्ता 1987 में सहायक शिक्षक के रूप में गॉसनर हाई स्कूल में नियुक्त हुआ था और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर 30.11.2016 को सेवानिवृत्त हुआ। प्रश्नगत स्कूल, जहाँ से याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हुआ, एक मान्यता प्राप्त सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल है और प्रश्नगत स्कूल के कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृति लाभों के भुगतान के लिए सभी खर्चों को राज्य सरकार द्वारा सरकारी खजाने से वित्त पोषित किया गया है।

3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत बहुत सूक्ष्म कम्पास में निहित है और यह डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 506, 509 एवं 512/2013 में इस न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश से आच्छादित है। जहां तक छुट्टी नकदीकरण के भुगतान का मुद्दा है, याचिकाकर्ता एक मान्यता प्राप्त सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल का सेवानिवृत्त कर्मचारी है और यह मुद्दा अब लम्बित नहीं है, अब यह मुद्दा मरियम तिर्की बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, जो 2014 (1) जे0बी0सी0जे0 465 में रिपोर्ट किए गए है और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव टू अपील (सी) संख्या 20606–20607/2014 में दिनांक 15.12.2014 को पारित निर्णय द्वारा बरकरार रखा गया।

तदनुसार, छुट्टी नकदीकरण की राशि के भुगतान के संबंध में दी गई निर्णय के आलोक में इस रिट याचिका को निष्पादित किया जा सकता है।

5. उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि सरकारी मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि की स्वीकार्यता से संबंधित पूर्वोक्त मुद्दा अब मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया गया है, द्वारा तय किया गया है।

6. पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी सं0 4 को यह निर्देश देकर किया जा रहा है कि वह याचिकाकर्ता को उनके संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांच के बाद छुट्टी नकदीकरण राशि प्रदान करने के मामले में उनके अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर और मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय को देखते हुए निर्णय किया जाए।

7. तद्नुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)